

No. 11019/35/2022-PMA  
Government of India / Bharat Sarkar  
Ministry of Home Affairs / Grih Mantralaya  
Police-I Division  
\*\*\*\*\*

Room No. 34020, Kartavya Bhavan-3,  
New Delhi, Dated 18<sup>th</sup> May, 2026

To

1. Chief Secretaries of all the States/UTs
2. Home Secretaries of all the States/UT
3. DsGP of all the States/UTs
4. Directors - CBI/NCRB/SVPNPA/NEPA/DFSS
5. DsG - BSF/CRPF/CISF/ITBP/SSB/NSG/BPR&D/NDRF/Assam Rifles

**Sub: Standard Operating Procedure (SOP) for "Ranking of Police Training Institutes" and "Ranking of CFSLs/SFSLs" - reg.**

Madam/Sir,

I am directed to refer to the subject mentioned above and to forward herewith the Standard Operating Procedure (SOP) for "Ranking of Police Training Institutes" and "Ranking of CFSLs/SFSLs", duly approved by the Competent Authority (copy enclosed-bilingual - Hindi + English).

2. The Ranking will be commenced from the year 2027. The BPR&D shall seek the nomination from the Police Training Institutes and CFSLs/SFSLs in due course.

Yours faithfully,



(D.K. Ghosh)

Deputy Secretary to the Govt. of India  
Tel: 011-24010098

Encl: As above.

Copy to:-

1. Director (Training), BPR&D - It is requested that necessary action may be taken well in advance so that ranking process may commence from 2027 as per SOP.
2. Director(WS), WS Division, MHA - The aforesaid SOP may be brought to the notice of CFSLs/SFSLs by WS Division being Administrative Division of DFSS, so that they may participate in the ranking process commencing from 2027.
3. SO (IT), MHA with request to upload the SOP on MHA Website [What's New & IPS - Awards -Notification/SOPs].

# **Standard Operating Procedure (SOP) for Ranking of Police Training Institutes of the States/Union Territories (UTs), Central Armed Police Forces (CAPFs) and Central Police Organisations (CPOs)**

## **Introduction:**

The ranking of Police Training Institutes of States/UT Police Forces, Central Armed Police Forces and Central Police Organisations in India is in recognition of their exceptional service to the nation.

## **Objective:**

It symbolizes the excellence and distinguished service of the Police Training Institutes and acknowledges the distinguished service including achievements in training of police personnel, enhancing skills and infrastructure of the Institutes. The objective of ranking is a matter of prestige, honour and significantly boosts the morale of the Police Training Institutes and also motivates for healthy competition with objective to improve the training skill and infrastructure.

## **Methodology:**

The Bureau of Police Research & Development (BPR&D) will invite nominations by 1<sup>st</sup> April every year. The notified Police Training Institutions of States/UTs, CAPFs and CPOs shall apply in the prescribed format by 15<sup>th</sup> April. The Bureau shall reserve the right to modify any of the parameters if it deems fit to do so in the interest of rationalization necessitated by the exigencies or nature of the data encountered. The ranking will be declared in the month of August every year. The top three ranked Institutes in each group of States/UTs and CAPFs/CPOs will be given certificate. The list of ranking along with marks will be uploaded on the Website. The SoP will be reviewed after every three years by the committee.

## **Distribution of Marks:**

<b>Sl. No</b>	<b>Parameters</b>	<b>Total Marks</b>
<b>1.</b>	<b>Training Courses and Methodologies</b>	<b>190</b>
<b>2.</b>	<b>Administrative Parameters</b>	<b>60</b>
<b>3.</b>	<b>Infrastructure</b>	<b>170</b>
<b>4.</b>	<b>Welfare Measure</b>	<b>30</b>
<b>5.</b>	<b>Additional Parameters</b>	<b>50</b>
	<b>Total</b>	<b>500 Marks</b>

**Basic information, Parameters wise criteria and marks:**

<b>Basic Information</b>						
	<b>Basic Information of Institute</b>	<b>State/UT</b>				
		<b>Institute Name</b>				
		<b>Institute Address</b>				
		<b>Year of Inception of the Institute</b>				
		<b>Campus Area in Acres</b>				
		<b>Website</b>				
	<b>Details of the Head of Institute</b>	<b>Name</b>				
		<b>Designation/ Rank</b>				
		<b>Contact No.</b>				
		<b>E mail id:</b>				
<b>1. Training Courses and Methodologies</b>				<b>190 Marks</b>		
	<b>Parameters</b>	<b>Criteria</b>			<b>Sub Area Marks</b>	<b>Maximum Marks</b>
1.1	<b>Variety of Training Courses</b>	Basic Training courses Conducted (As per training Calendar)		100 % courses conducted as per training calendar *	05	05
		In-Service Training/Refresher Course conducted (As per training Calendar)		100 % courses conducted as per training calendar *	05	05
		Training courses conducted for		Yes	05	05

		non-police departments (As per training Calendar)		No	00	
		Inter-state or Foreign Training (As per training Calendar)		Yes	05	05
				No	00	
		Training programs conducted on New Criminal Laws (As per training Calendar)		100 % courses conducted as per training calendar *	05	05
		Total No. of Online Courses conducted		Minimum 10 in the assessment year	05	05
				Between 5 to 10	03	
				Less than 5	00	
		Total No. of Courses offered under Centre of Excellence		More than 5	05	05
				Less than 5	03	
		Courses Conducted with MoU partners		Minimum 5 courses, 1 mark for each course	05	05
1.2	<b>Training Methodologies</b>	Training Need Analysis conducted in last 5 years		Yes	03	03
				No	00	
		Using e-Resource Material		Yes	02	02
				No	00	
		Lesson Plans Prepared		Yes	05	05
				No	00	
		Use of Case Studies		Yes	05	05

		And Hon'ble Court Judgments etc.				
				No	00	
		Case studies prepared by Trainees as assignment		Yes	05	05
				No	00	
		Assessment Methodology	Pre-training Assessment Done	Yes	05	05
				No	00	00
			Post training Assessment	Yes	05	05
				No	00	00
		Trainee Support mechanisms (like interaction between alumni, faculty and trainees)		Yes	05	05
				No	00	
		Post training Support for the alumni		Yes	03	03
				No	00	00
		Simulation exercises/ Role Plays etc.		Yes	03	03
				No	00	
		Syndicate/ Panel Discussions		Yes	03	03
				No	00	
		Excursions /Visit and Camping		Yes	02	02
				No	00	
		E-Learning Portal (Knowledge management system)		If available	04	04
				Not available	00	
1.3	<b>Study Material Development</b>	In-house Study Material given to Trainees		Yes	05	05

				No	00	
		Study material prepared in collaboration with other eminent institutes for trainees		Yes	05	05
				No	00	
		Modules prepared for trainees		Yes	05	05
				No	00	00
	<b>i-GOT</b>	Modules prepared by faculties		> 50% of the total faculty strength during the assessment year	02	02
				Between 20% to 50% of the total faculty during the assessment year	01	
				Less than 20%	00	
		Pre- training and Post training courses by trainees using i-Got		Done	01	01
				Not Done	00	
		Digitization of Training Materials (%)		> 90%	02	02
				Between 75% to 90%	01	
				Less than 75%	00	
1.4	<b>Publications</b>	Publication of Newsletter/ Journal		Yes	04	04
				No	00	00
		Publications by faculty (like		> 50% of the total	04	04

		precis, case study, etc.)		faculty during the assessment year		
				<50% of the total faculty		00
		Publications in International Journal by faculty		1 mark for each article/Paper published during assessment year (Maximum-2)	02	02
1.5	<b>Faculty Development Programme</b>		FDP done by More than 90% of the total faculty strength		05	05
			Between 75 % to 90% of faculty		03	
			Faculty invited in other Institutes	> 50% of faculty strength	05	05
				Between 30% to 50%	03	
				Between 20% to 30%	02	
1.6	<b>Eminent Resource Experts invited (National and International)</b>			Yes	02	02
				No	00	
1.7	<b>Training Collaborations &amp; MoUs</b>		MoU with Academic/ National / International Institutions in current year (1 marks for each MoU)		05	05

1.8	<b>Sports Activities organized</b>	Sports events Like athletic meets, aquatic meets, equestrian competitions etc. conducted.	In-house (1 marks for each sport/event)		05	10
			State/ National International level events organized or Facilities utilized by other agencies(Minimum 1 event)		05	
1.9	<b>Cultural Programme and Days of National International Eminence organized</b>		Minimum 02 events	Yes	02	02
				No	00	
1.10	<b>National/International Conference/Seminar/Police Science Congress organised</b>	National-level Training Conference	Minimum 01 event	Yes	05	05
				No	00	
		State-level Training Conference	Minimum 01 events	Yes	03	03
				No	00	
		Swachh Bharat Abhiyan related events	Minimum 02 events	Yes	02	02
				No	00	
		Activity Clubs	Minimum 2	Yes	02	02
				No	00	00
1.11	<b>Feedback Mechanism</b>	Training Feedback and action taken		Done	02	02
				Not Done	00	
		Post Training Feedback of the trainees from the Parent		Done	02	02

		Force				
				Not Done	00	00
1.12	<b>In-house Faculty to Trainee Ratio</b>			Ideal 1:10	02	02
				Less than 1:10	00	
1.13	<b>Centre of Excellence established</b>			Minimum 1	05	05
1.14	<b>Accreditation / Standardisation received</b>			Minimum One, 5 marks each	10	10
1.15	Any Innovative Practices		Give Details	Minimum One/ Two marks each		03
1.16	Exchange of Best Practices		Give Details	Minimum One/ 2 marks each		03
1.17	SoP prepared for Training Management in Academy			Yes	02	02
				No	00	
<b>2. Administrative Parameters</b>					<b>60 marks</b>	
<b>2.1</b>	<b>Office facilities</b>	Administrative Block		Available	02	02
				Not available	00	
		Availability of office rooms as per ranks		Yes	02	02
				No	00	
		Power Backup Facilities		Yes	02	02
				No	00	
		Internal Complaints Committee Present (as per Vishaka guidelines)		Yes	02	02
				No	00	
		Use of Management Information Software like e-office		Yes	02	02

				No	00	
2.2	<b>Awards received by faculties (During the posting in Academy)</b>	National Level		02 marks per award	10	10
		State Level		1 mark per award		05
2.3	<b>Procurement &amp; Maintenance of Stores</b>	Percentage of procurement through GeM			02	10
		Store upkeep, maintenance of registers and accounting of articles on regular basis			02	
		Condemnation and auction done in last year			01	
		Inspection of stores conducted every year			01	
	<b>Digital Inventory Management</b>			Yes	02	
				No	00	
	<b>SOP for Kote Management</b>			Yes	02	
				No	00	
2.4	<b>Security</b>	CCTV surveillance with control room			02	02
		Boundary Wall				01
		Physical Security with trained security personnel			02	02
		Cyber Security Mechanisms			02	02
2.5	<b>Vehicle for trainees</b>	Available			02	02
		Not Available			00	
2.6	<b>Budget allocated and</b>	Budget Utilization		More than 90%	02	02

	<b>Utilized for Training institute</b>	Percentage (Total Expenditure /Total Allocated amount)				
				Between 75% to 90%	01	
				Less than 75%	00	
<b>2.7</b>	<b>Internal and External Audit (One marks each )</b>				02	02
<b>2.8</b>	<b>Green Cover</b>			More than 50% of the total area	02	02
				Less than 50% of the total area	01	
<b>2.9</b>	<b>Sustainable technology used in the academies Like Solar farm, Eco friendly practices, Rain water harvesting etc. (Minimum Two)</b>			2 Marks for each initiative (Maximum 5)		10
<b>3. Infrastructure</b>				<b>170</b>		
<b>3.1</b>	<b>Residential Accommodation for Staff/Trainees</b>	No. of Quarters and Barracks for staff		100 % availability of sanctioned Strength*	03	03
		Guest House		If available	02	02
				Not available	00	
		Barracks for trainees (prefabricated or concrete)	Prefabricated	1.As per Sanctioned strength full marks	03	03
				2. Less than 100% and up to 80%	02	
				3. Less	01	

				than 80%		
			Concrete	1.As per Sanctioned strength full marks	04	04
				2. Less than 100% and up to 80%	03	
				3. Less than 80%	01	
		No. of Rooms in Hostel for trainees		1.100% of sanctioned strength full marks	03	03
				2. Less than 100% and up to 80%	02	
				3. Less than 80%	01	
		No. of Rooms for female trainees		At least 33% of the total capacity	02	02
		Family Rooms (For women trainees with children less than 2 years)		Minimum 2 rooms in hostel	02	02
				Less than 2 rooms	01	
		Toilets	1 toilet per 6 trainees	Available	02	02
				Not Available	00	
		Bathrooms	1 bathroom per 6 trainees	Available	02	02
				Not Available	00	
		Officers mess		Available	03	03
				Not available	00	
		Recreation Room/Sabha Room		Available	02	02
				Not available	00	
		Dining Hall		100% of sanctioned capacity of trainees*	03	03
		Kitchen including Air		Available	03	03

		conditioned store room and drinking water facility like water cooler, aqua guard etc.				
				Not available	00	
<b>3.2 Indoor Training</b>						
		No. of furnished Smart Classrooms with Audio-visual facilities, etc.		As per the sanctioned strength of trainees (100%)*	04	04
		Conference Rooms with VC facilities		Available	04	04
				Not available	00	
		Auditorium with modern equipment		Available	04	04
				Not available	00	
		Library: - 1200 square feet (with cubicles for Internet, video films)		Available	04	04
				Not available	00	
		E- library access		Available	04	04
				Not available	00	
<b>3.3 Outdoor Training</b>						
		Sports facility (Specify the number of Sports and corresponding infrastructure)	02 marks for each sport. (Maximum 5)			10
		Parade Ground (will also be used for PT)- Kutchra		Available	02	02
				Not available	00	
		Parade Ground		Available	03	03

		– (Pucca)				
				Not available	00	
		Drill Shed		Available	05	05
				Not available	00	
		Stadium (with amenities like changing rooms, toilet, storerooms, etc.)		Available	05	05
				Not available	00	
		Gymnasium (with all necessary and modern gym equipment)		Available	03	03
				Not available	00	
		Stable /Kennel with Horses/Dogs		Available	03	03
				Not available	00	
		Firing Range Infrastructure	-Short -Long -Indoor -Baffle -Simulator range (Mention the types and Numbers along with night practice facility)	02 Marks each Facility		10
		Obstacle/Assault Course (facility)	Standard (10)	Available	02	02
				Not Available	00	
			Battle Assault (16)	Available	03	03
				Not Available	00	
		Demo Area (For ambush/ CICT, Map reading, IED demo, Police Tactics, etc.)	Minimum 25 Acres	Available	04	04

				Not Available	00	
		Swimming Pool (along with changing rooms and toilets)	Olympic Size (50m × 25 m)	Available	05	05
				Not available	00	
			25m×12.5m	Available	04	
				Not Available	00	
			Other	Available	02	
				Not Available	00	
<b>3.4 Practical Training Facilities</b>						
		Mini Forensic Science Laboratory		Available	05	05
				Not available	00	
		IED Labs with accessories		Available	05	05
				Not Available	00	
		Simulator Area For Mock Exercise		Available	05	05
				Not available	00	
		Sand Model Room Traditional		Available	05	05
				Not available	00	
		Sand Model Room Digital 3D		Available	05	05
				Not available	00	
		Driving Simulators with equipment room		Available	05	05
				Not Available	00	

<b>3.5 Digital training infrastructure</b>						
		Number of Computers per lab with Internet facility	30 computers with printers, UPS, etc.	100 % of the sanctioned capacity	10	10
		Data Center/Server Room		If available	05	05
				Not available	00	
		Studio for AV content development		If available	05	05
				Not available	00	
		Website (Updated)		If available	03	03
				Not available	00	
		Social Media presence like X, Facebook, etc. with subscribers (Mention the username details of the official Social Media Handles)		(1 marks for each official social media account of PTI, Max. 4)	04	04
				Not available	00	
		Annual Third-Party IT infrastructure Audit done		Done	04	04
				Not Done	00	
<b>4. Welfare Measures -</b>				<b>30 Marks</b>		
<b>[Note:- Assign marks from 4.1 to 4.15– If available ‘02 Marks’ and not available ‘00 Marks’]</b>						
4.1	<b>Canteen Facility</b>					
4.2	<b>Park/Garden</b>					
4.3	<b>Post Office</b>					
4.4	<b>Bank ATM</b>					
4.5	<b>Crèche</b>					
4.6	<b>Skill development centre</b>					
4.7	<b>Grocery Store and Super Market</b>					
4.8	<b>School for Children</b>					
4.9	<b>Mini theatre</b>					
4.10	<b>Ambulance Facility</b>					
4.11	<b>Hospital/Dispensary</b>					
4.12	<b>Engagement with the</b>					

	<b>community like workshops/camps etc.</b>		
4.13	<b>Programme for Families</b>		
4.14	<b>Counselling center</b>		
4.15	<b>Transport services</b>		

**5. Additional Parameters -**

**50 Marks**

	<b>Parameters</b>	<b>Criteria</b>			<b>Sub Area Marks</b>	<b>Maximum Marks</b>
<b>5.1</b>	<b>Adoption of BPR&amp;D Standardised Syllabi for Basic Course Training for three Ranks ie. Dy.SP, SI and Constable</b>		Yes		05	05
			No		00	
<b>5.2</b>	<b>Training Capacity Utilisation (Utilisation %)- Annual</b>  <u><b>(Actual Number of Trainees Trained x Days Utilized per Trainee) x 100</b></u>  Divided by  <b>Sanctioned Capacity x Working Days</b>  <b>For example:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanctioned Capacity = 50 trainees</li> <li>• Actual Number of Trainees Trained in a Financial Year = 45 Trainees</li> </ul>	Between 75 to 100%			04	04

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Number of Days Utilized per Trainee = 200 Days</li> <li>• Number of Working Days in the Financial Year = 250 Days</li> <li>• Actual Training Days Used = <math>45 \times 200 = 9,000</math></li> <li>• Maximum Possible Training Days = <math>50 \times 250 = 12,500</math></li> <li>• <b>Percentage Utilization=</b>  <math>\frac{9,000}{12,500} \times 100 = 72\%</math></li> </ul>	Between 50% to 75%			03	
		Less than 50 %			00	
5.3 (a)	<b>Training of Trainers courses conducted in PTI</b>		More than 5 courses		05	05
			Between 2 to 5 Courses		03	
			Less than 02 courses		00	
(b)	<b>Faculty development programme for PTI trainers conducted outside the parent training institution</b>		More than 80% faculties trained		02	02
			Less than 80 % faculty trained		00	
(c)	<b>List of Master Trainers/SMEs prepared by Training Institute</b>		Yes		02	02
			No		00	

<b>5.4</b>	<b>Courses Conducted</b>					
<b>a.</b>	<b>No. of Courses conducted as per DGsP/IGsP conference directions</b>		Minimum 05 Courses		03	03
<b>b.</b>	<b>No. of Courses conducted as per NSSC directions</b>		Minimum 03 Courses		03	03
<b>c.</b>	<b>No. of Courses conducted as per MHA directions</b>		Minimum 05 Courses		03	03
<b>d.</b>	<b>Joint Trainings conducted</b>		Minimum 2 Courses		03	03
<b>e.</b>	<b>Courses conducted on Nyay Sanhita based on notifications issued by States/UTs</b>		75%- 100 %		03	03
			50%- 75%		02	
			Less than 50 %		00	
<b>f.</b>	<b>MHA sponsored courses</b>		Minimum 2 courses		03	03
<b>5.5</b>	<b>Use of BPR&amp;D handbooks/reference materials in training</b>		Yes		02	02
			No		00	
<b>5.6</b>	<b>DIPTI data submission</b>		Submitted within deadline with no corrections later.		05	05
			Submitted with minor corrections		02	
			Not submitted/inc omplete		00	
<b>5.7</b>	<b>Co-hosting events in collaboration with BPR&amp;D</b>		Minimum 01 event		03	03
<b>5.8</b>	<b>Publication by faculties/trainees in Indian Police Journal/Police Vigyan Patrika of BPR&amp;D</b>		01 marks per article (Maximum 04 marks)		04	04

*\*The marks will be awarded proportionally as per the figure uploaded by the PTIs.*

## **Categorisation of the States/UTs/CAPFs/CPOs:**

It is reasonable and necessary to create categories of States/UTs before undertaking comparison, assessment, and evaluation. Categorization enables comparison among Institutes that face broadly similar challenges and operate under comparable contextual conditions. This promotes fairness in evaluation and allows the ranking framework to distinguish between institutional performance and structural disadvantage. It will also improve the credibility of the ranking exercise by ensuring that assessments reflect both efficiency and the operational realities of the respective State/UTs. The Institutes will be assessed based on prescribed criteria from each of the following category:

**Category-I** : 1. Arunachal Pradesh 2. Goa 3. Himachal Pradesh 4. Meghalaya 5. Mizoram 6. Manipur 7. Nagaland 8. Sikkim 9. Tripura 10. Uttarakhand 11. Andaman & Nicobar Islands 12. Chandigarh 13. Dadra and Nagar Haveli & Daman and Diu 14. Ladakh 15. Lakshdweep 16. Puducherry

**Category-II** : 1. Assam 2. Chhattisgarh 3. Haryana 4. Jharkhand 5. Kerala 6. Odisha 7. Punjab 8. Telangana 9. Delhi 10. Jammu & Kashmir

**Category-III** : 1. Andhra Pradesh 2. Bihar 3. Gujarat 4. Karnataka 5. Madhya Pradesh 6. Maharashtra 7. Rajasthan 8. Tamil Nadu 9. Uttar Pradesh 10. West Bengal

**Category-IV** : 1. Assam Rifles (AR) 2. Border Security Force (BSF) 3. Central Industrial Security Force (CISF) 4. Central Reserve Police Force (CRPF) 5. Indo Tibetan Border Police (ITBP) 6. National Security Guard (NSG) 7. Sashastra Seema Bal (SSB)

**Category-V** : 1. Central Bureau of Investigation (CBI) 2. Bureau of Police Research & Development. (BPRD) 3. Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (SVPNPA) 4. North Eastern Police Academy (NEPA) 5. National Disaster Response Force (NDRF)

(Any Institutes of Ministry of Home Affairs will be considered for ranking based on the criteria mentioned in SOP)

## **Consideration by the Committee:**

- (a) The proposal, as per SOP, received from the concerned Police Training Institutes will be scrutinize by the committee in BPR&D.
- (b) DG, BPR&D may form more than one Committee based on the number of nominations to rank the Police Training Institutions. The members of the committee may be nominated from States/UTs, CAPFs and CPOs.
- (c) The composition of the Committee is as under:
  - (i) ADG/IG of BPR&D : Chairperson
  - (ii) IG of State/UT (on a rotation basis) : Member
  - (iii) IG of CAPFs (on a rotation basis) : Member
  - (iv) IG of CPOs (on a rotation basis) : Member
  - (v) Director/DS, P-I Division, MHA : Member
  - (vi) DIG, BPR&D : Member Secretary

- (d) The Committee will allot marks based on data/documents shared by the Police Training Institutions.
- (e) BPR&D shall be empowered to take up physical verification of the Police Training Institutions (if required), to ensure that the principles of ethical behaviour are being adhered to.
- (f) The Committee shall submit their report to DG, BPR&D.
- (g) The recommendation of DG, BPR&D for ranking of Police Training Institute will be placed before approval of the Competent Authority through Police-I Division of Ministry of Home Affairs.

**Approval of Competent Authority:**

The Competent Authority for approval is the Hon'ble Union Home Minister.

\*\*\*\*\*

# **Standard Operating Procedure (SOP) for Ranking of Forensic Science Laboratories (CFSLs/SFSLs)**

## **Introduction:**

The ranking of Forensic Science Laboratories (CFSLs/SFSLs) in India is in recognition of their exceptional service to the nation.

## **Objective:**

It symbolizes the excellence and distinguished service of the Forensic Science Laboratories (CFSLs/SFSLs) and acknowledges the distinguished service including achievements in enhancing skills and infrastructure of the Laboratories. The objective of ranking is a matter of prestige, honour and significantly boosts the morale of the Laboratories and also motivates for healthy competition with objective to improve the training skill and infrastructure.

## **Methodology:**

The Bureau of Police Research & Development (BPR&D) will invite nominations by 1<sup>st</sup> April every year. The notified CFSLs/SFSLs shall apply in the prescribed format by 15<sup>th</sup> April. The Ministry shall reserve the right to modify any of the parameters if it deems fit to do so in the interest of rationalization necessitated by the exigencies or nature of the data encountered. The ranking will be declared in the month of August every year. The top three ranked Laboratories will be given certificate. The list of ranking along with marks will be uploaded on the Website. The parameters for evaluation will be reviewed after three years.

## **Distribution of Marks:**

The Forensic Science Laboratories (CFSLs/SFSLs) ranking system assigns 100 total points distributed across different categories. Each parameter within the categories has a specific benchmarking for scoring. This ensures that all aspects of a lab's operation are evaluated in a balanced way.

<b>Sl. No</b>	<b>Parameters</b>	<b>Total Marks</b>
<b>1.</b>	<b>Quality of Services and Adoption of Best Practices</b>	<b>15</b>
<b>2.</b>	<b>Research &amp; Development (R&amp;D)</b>	<b>10</b>
<b>3.</b>	<b>Training &amp; Capacity Building</b>	<b>10</b>
<b>4.</b>	<b>Infrastructure and Facilities</b>	<b>10</b>
<b>5.</b>	<b>Accreditation and Certification</b>	<b>10</b>
<b>6.</b>	<b>Collaboration and Partnerships</b>	<b>05</b>
<b>7.</b>	<b>Case Solving Efficiency</b>	<b>20</b>
<b>8.</b>	<b>Court Evidence and Crime Scene Visits</b>	<b>10</b>
<b>9.</b>	<b>Community, Outreach and Awareness</b>	<b>05</b>
<b>10.</b>	<b>Environmental Sustainability</b>	<b>05</b>
	<b>Total</b>	<b>100 Marks</b>

**Basic information, Parameters wise criteria and marks:**

<b>S. No.</b>	<b>Parameter</b>	<b>Score</b>	<b>Indicator</b>	<b>Weightage</b>	<b>Bench Marking</b>
<b>1.</b>	<b>Quality of Services and Adoption of Best Practices</b>	<b>15</b>	<b>SOP Documentation for all Technical activity</b>	<b>5</b>	Available: 05 Not Available: 00
			<b>New Technical/Scientific Facility Developed</b>	<b>4</b>	Yes: 04 (Documented Proof Required) No: 00
			<b>Customer / Case Forwarding Authority Feedback</b>	<b>3</b>	Yes: 03 (Documented Proof Required) No: 00
			<b>Audit by Internal Audit Team for all divisions for technical requirements in all Divisions</b>	<b>3</b>	All Compliance: 03 (Documented Proof Required) No Compliance: 00
<b>2.</b>	<b>Research &amp; Development (R&amp;D)</b>	<b>10</b>	<b>Scientific Projects / Dissertation Work</b>	<b>2</b>	Yes: 02 (Documented Proof Required) No: 00
			<b>E-Library for Research Journals/ Books</b>	<b>1</b>	Yes: 01 (Documented Proof Required) No: 00
			<b>Research Publications</b>	<b>2</b>	International Journal(Scopus Enlisted) : 02 (Minimum 02/year) National Journal/ E-Journal: 01 (Minimum 02/year) General Communications only : 01 No Publication: 00
			<b>Innovative Research Methodology Developed/Patented Work</b>	<b>3</b>	Yes: 03 (Documented Proof Required) No: 00
			<b>Method Development and its adoption in routine cases/ Transfer of Technology to other institutions for adoption</b>	<b>2</b>	Yes: 02 (Documented Proof Required) No: 00
<b>3.</b>	<b>Training &amp; Capacity</b>	<b>10</b>	<b>Training of staff through iGOT</b>	<b>4</b>	Adequate : 04 (Minimum 03 Training Courses/ Year

	<b>Building</b>		<b>Karmayogi Platform / Other Online Platform</b>  <b>or</b>  <b>Govt. Training Institutions in India/Foreign Training Institution</b>		apart from indicated note)  Moderate : 02 (If less than 03 trainings)  No Training : 00  <b>Note: 06 Mandatory trainings to all government officials through iGOT portal as indicated by DoPT order need to be done by all officers/Staff without delay.</b>
			<b>Staff Technical and Soft Skill Development through online or offline mode</b>	<b>3</b>	Skill Development Training (Min. 50 % Staff) : 03(Documented Proof Required) Skill Development Training(Min.25% to 50 % Staff) : 02(Documented Proof Required) Skill Development Training(Min.10% to 25 % Staff) : 01(Documented Proof Required) No Exposure : 00
			<b>Vacant Post Filling/Action proceedings</b>	<b>3</b>	Fully Filled : 03 Partially Filled: 02 In process : 01 (Documented Proof Required) No Action : 00
<b>4.</b>	<b>Infrastructure and Facilities</b>	<b>10</b>	<b>Analytical Equipment, Hardware and Software with valid licenses</b>	<b>3</b>	Full: 03 (Physical Availability Required)* Partial : 02 Nil Equipment: 00
			<b>IT infrastructure /Digital Facility/ E-Office/ Record (Digital &amp; Physical) Management System</b>	<b>2</b>	Yes: 02 (Physical Availability Required) No: 00
			<b>Lab Space with lab infrastructure for</b>	<b>3</b>	Available: 03 (Physical Availability Required)

			<b>conducting laboratory Procedures and Analysis along with Evidence Safe Keeping</b>		Not Available: 00
			<b>Manpower/ Working Strength including Govt. Security Personal</b>	<b>2</b>	Full: 02 No manpower: 00
<b>5.</b>	<b>Accreditation and Certification</b>	<b>10</b>	<b>NABL Certification</b>	<b>5</b>	Yes: 05 (Documented Proof Required) No: 00
			<b>Inter Laboratory Proficiency Testing(ILPT) Scope Coverage</b>	<b>2</b>	<b>Scope Covered as per certification under ILPT :</b> Fully Covered : 02 (Documented Proof Required) Not Covered/Partial : 00
			<b>ISO-17025 Compliance for Calibrations and Certified Standard Reference Materials</b>	<b>3</b>	<b>Availability of All Calibrated Equipment and Certified CRMs/ other Reference Standards:</b>  Yes: 03 (Documented Proof Required) No: 00
<b>6.</b>	<b>Collaboration and Partnerships</b>	<b>05</b>	<b>Memorandum of Understandings with Institutions for advancement in research and technology</b>  <b>Or</b> <b>Knowledge Sharing Network</b>	<b>2</b>	Yes: 02 (Documented Proof Required) No: 00
			<b>Conducting of online Seminars /Conference (or) Workshop in International /National Conference</b>	<b>2</b>	Yes: 02 (Documented Proof Required) No: 00
			<b>Academic Collaborations with institutions doing Forensic Science Courses/Police Training Institutions or</b>	<b>1</b>	Yes: 01 (Documented Proof Required) No: 00

			Academies /Judicial Academy  Central/State Universities  Members in Academic Councils/ Board of Studies/ PhD Supervisor/Co Supervisor		
7.	Case Solving Efficiency	20	Volume (No. of cases)/ Case Disposal Rate %)	8	100% : 08 ( Depends on Input of cases in the lab) 60-80%: 07 40-60%: 05 10-40% : 03 Less than 10% : 01
			Turn Around Time(TAT)	3	Min. 05 days : 03 More Than 05-10 days : 02 More than 10 days : 01 More Than 01 month:00
			Backlog (Case Pendency Reduction %)	6	100% : 06 ( Nil Pendency/ Less than 1-3 months pendency) 61-80%: 05 41-60%: 04 10-40% : 03 Less than 10% : 01
			Priority (Cases of national Importance handled)	3	Yes: 03 (Documented Proof Required) No: 00
8.	Court Evidence and Crime Scene Visits	10	Depositions	4	Video Conferencing(VC) (100%) : 4 Physical Attendance/ VC : 3 Physical Attendance only : 2 Nil Deposition : 1
			Quality (Impactful on Judgement)	3	Acknowledge in Judgement Statement : 3 (Court Feedback is required) No Court Feedback: 0
			Crime Scene(CS) Visit	3	CS Team Section Active : 3 CS Team Section Not

					Available : 0
9.	Community, Outreach and Awareness	5	Programs/Lectures/Invited talks in online meet/ Web Page about forensics	2	Yes: 02 (Documented Proof Required) No: 00
			Forensic Exhibitions for Students/visitors	2	Yes: 02 (Documented Proof Required) No: 00
			Forensic Education Event in Institutions	1	Yes: 01 (Documented Proof Required) No: 00
10.	Environmental Sustainability	5	Bio Waste Management and adoption of Environment safety Procedures/ Green Initiatives	2	Yes: 02 (Documented Proof Required) No: 00
			Welfare Management/ Recreational facility for officers/staff	2	Yes: 02 (Documented Proof Required) No: 00
			Audit/ Certification in sustainable green initiatives	1	Yes: 01 (Documented Proof Required) No: 00

\* With respect to Standard Equipment List for CFSLS/SFSLs ([http://dfs.nic.in/pdfs/standard%20equipment%20list\\_unlocked.pdf](http://dfs.nic.in/pdfs/standard%20equipment%20list_unlocked.pdf))

### **Consideration by the Committee:**

- (a) The proposal, as per SOP, received from the concerned CFSLS/SFSLs will be scrutinize by the committee in the BPR&D.
- (b) The composition of the Committee is as under:
- (i) ADG/IG of BPR&D : Chairperson
  - (ii) Accreditation expert (e.g. NABL) : Member
  - (iii) Subject Matter Expert : Member  
(e.g., From Academic/ Research Body)
  - (iv) Representative from NFSU : Member
  - (v) Retired Forensic Expert/ Practitioner from : Member  
NIA/CBI/IB/ED/Police (IPS Cadre)
  - (vi) DIG, BPR&D : Member Secretary

- (c) The Committee will allot marks based on data/documents shared by the CFSLs/SFSLs ensuring transparency, objectivity and uniformity in assessment.
- (d) All necessary assistance to the Committee will be provided by DFSS. BPR&D/DFSS shall be empowered to take up physical verification of the laboratories (if required), to ensure that the principles of ethical behaviour are being adhered to.
- (e) The Committee shall submit their report to DG, BPR&D.
- (f) The recommendation of Committee for ranking of CFSLs/SFSLs will be placed before approval of the Competent Authority through WS Division of Ministry of Home Affairs.

**Approval of Competent Authority:**

The Competent Authority for approval is Hon'ble Union Home Minister.

\*\*\*\*\*

## राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी), केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की रैंकिंग के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)

### प्रस्तावना:

भारत में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की रैंकिंग राष्ट्र के लिए उनकी असाधारण सेवा के प्रति सम्मान है।

### उद्देश्य:

यह पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की उत्कृष्टता और विशिष्ट सेवा का प्रतीक है और इसके द्वारा पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण, संस्थानों के कौशल और इन्फ्रास्ट्रक्चर के संवर्धन में उपलब्धियों सहित विशिष्ट सेवा को सम्मानित किया जाता है। रैंकिंग का उद्देश्य प्रतिष्ठा, सम्मान का विषय है और यह पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के मनोबल को काफी बढ़ाता है और प्रशिक्षण कौशल और इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के उद्देश्य से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए भी प्रेरित करता है।

### कार्यप्रणाली:

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) हर साल 1 अप्रैल से नामांकन आमंत्रित करेगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिसूचित पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, सीएपीएफ और सीपीओ 15 अप्रैल तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेंगे। ब्यूरो किसी भी पैरामीटर को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा यदि वह उपलब्ध डेटा की अनिवार्यताओं या प्रकृति के कारण आवश्यक युक्तिकरण के हित में ऐसा करने के लिए उपयुक्त समझता है। रैंकिंग की घोषणा हर साल अगस्त के महीने में की जाएगी। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों एवं सीएपीएफ/सीपीओ के प्रत्येक समूह में शीर्ष तीन स्थान प्राप्त संस्थानों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। अंकों सहित रैंकिंग की सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। समिति द्वारा हर तीन साल के बाद एसओपी की समीक्षा की जाएगी।

### अंकों का वितरण:

क्रम संख्या	पैरामीटर	कुल अंक
1.	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और पद्धतियाँ	190
2.	प्रशासनिक मापदंड	60
3.	इन्फ्रास्ट्रक्चर	170
4.	कल्याणकारी उपाय	30
5.	अतिरिक्त पैरामीटर	50
	कुल	500 अंक

**बुनियादी जानकारी, पैरामीटर-वार मानदंड और अंक:**

बुनियादी जानकारी						
	संस्थान की बुनियादी जानकारी	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र				
		संस्थान का नाम				
		संस्थान का पता				
		संस्थान की स्थापना का वर्ष				
		एकड़ में कैम्पस क्षेत्र				
		वेबसाइट				
	संस्थान के प्रमुख का विवरण	नाम				
		पदनाम/रैंक				
		संपर्क नंबर.				
		ई मेल आईडी:				
I. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और पद्धतियाँ					190 अंक	
	पैरामीटर	मापदंड		उप क्षेत्र अंक	अधिकतम अंक	
1.1	प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की विविधता	आयोजित बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार)		प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार 100% पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं *	05	05
		आयोजित सेवा कालीन प्रशिक्षण/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (प्रशिक्षण कैलेंडर के		प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार 100% पाठ्यक्रम आयोजित	05	05

		अनुसार)		किए जाते हैं *		
		गैर-पुलिस विभागों के लिए आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार)		हाँ	05	05
				नहीं	00	
		अंतर-राज्यीय या विदेशी प्रशिक्षण (प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार)		हाँ	05	05
				नहीं	00	
		नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार)		प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार 100% पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं *	05	05
		ऑनलाइन आयोजित पाठ्यक्रमों की कुल सं.		मूल्यांकन वर्ष में न्यूनतम 10	05	05
				5 से 10 के बीच	03	
				5 से कम	00	
		उत्कृष्टता केंद्र के तहत प्रदान किए गए पाठ्यक्रमों की कुल संख्या		5 से अधिक	05	05
				5 से कम	03	
		समझौता ज्ञापन के भागीदारों के साथ आयोजित पाठ्यक्रम		न्यूनतम 5 पाठ्यक्रम, प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 1 अंक	05	05

1.2	प्रशिक्षण पद्धतियां	पिछले 5 वर्षों में आयोजित प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण		हाँ	03	03
				नहीं	00	
		ई-संसाधन सामग्री का उपयोग करना		हाँ	02	02
				नहीं	00	
		तैयार की गई पाठ योजनाएँ		हाँ	05	05
				नहीं	00	
		केस स्टडीज का उपयोग और माननीय न्यायालय के निर्णय आदि।		हाँ	05	05
				नहीं	00	
		प्रशिक्षुओं द्वारा असाइनमेंट के रूप में तैयार किया गया केस स्टडी		हाँ	05	05
				नहीं	00	
		मूल्यांकन पद्धति	प्रशिक्षण पूर्व किया गया मूल्यांकन	हाँ	05	05
				नहीं	00	00
			प्रशिक्षण उपरांत आकलन	हाँ	05	05
				नहीं	00	00
		प्रशिक्षु सहायता तंत्र (जैसे पूर्व छात्रों, संकाय और प्रशिक्षुओं के बीच इन्टरेक्शन)		हाँ	05	05
				नहीं	00	
		प्रशिक्षण उपरांत पूर्व छात्रों के लिए सहायता		हाँ	03	03
				नहीं	00	00
		सिमुलेशन अभ्यास/		हाँ	03	03

		रोल प्ले आदि।				
				नहीं	00	
		सिंडिकेट/ पैनल चर्चा		हाँ	03	03
				नहीं	00	
		भ्रमण/यात्रा और कैम्पिंग		हाँ	02	02
				नहीं	00	
		ई-लर्निंग पोर्टल (ज्ञान प्रबंधन प्रणाली)		यदि उपलब्ध हो	04	04
				उपलब्ध नहीं है	00	
1.3	<b>अध्ययन सामग्री तैयार करना</b>	प्रशिक्षुओं को दी गई इन-हाउस अध्ययन सामग्री		हाँ	05	05
				नहीं	00	
		प्रशिक्षुओं के लिए अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से तैयार की गई अध्ययन सामग्री		हाँ	05	05
				नहीं	00	
		प्रशिक्षुओं के लिए तैयार किए गए मॉड्यूल		हाँ	05	05
				नहीं	00	00
	<b>आई-गॉट (i-GOT)</b>	संकायों द्वारा तैयार किए गए मॉड्यूल		मूल्यांकन वर्ष के दौरान कुल संकाय संख्या के 50% से अधिक	02	02
				मूल्यांकन वर्ष के दौरान कुल संकाय के 20% से 50% के बीच	01	
				20% से कम	00	

		आई-गॉट का उपयोग करके प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण पूर्व और प्रशिक्षण उपरांत के पाठ्यक्रम		किया गया	01	01
				नहीं किया गया	00	
		प्रशिक्षण सामग्री का डिजिटलीकरण (%)		> 90%	02	02
				75% से 90% के बीच	01	
				75% से कम	00	
1.4	<b>प्रकाशन</b>	न्यूज़ लैटर/ जर्नल का प्रकाशन		हाँ	04	04
				नहीं	00	00
		संकाय द्वारा प्रकाशन (जैसे सटीक, केस स्टडी, आदि)		मूल्यांकन वर्ष के दौरान कुल संकाय के 50% से अधिक	04	04
				50% से कम		00
		संकाय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशन		मूल्यांकन वर्ष के दौरान प्रकाशित प्रत्येक लेख/पेपर के लिए 1 अंक (अधिकतम -2)	02	02
1.5	<b>संकाय विकास कार्यक्रम</b>		कुल संकाय संख्या के 90% से अधिक द्वारा एफडीपी		05	05

			किया गया			
			75% से 90% संकाय के बीच		03	
			अन्य संस्थानों में आमंत्रित संकाय	संकाय संख्या के 50% से अधिक	05	05
				30% से 50% के बीच	03	
				20% से 30% के बीच	02	
1.6	आमंत्रित प्रख्यात संसाधन विशेषज्ञ (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय)			हाँ	02	02
				नहीं	00	
1.7	प्रशिक्षण सहयोग और समझौता ज्ञापन		चालू वर्ष में अकादमिक/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन (प्रत्येक समझौता ज्ञापन के लिए 1 अंक)		05	05
1.8	खेल गतिविधियों का आयोजन	आयोजित खेल जैसे एथलेटिक मीट, एक्वेटिक मीट, घुड़सवारी प्रतियोगिताएं आदि।	इन हाउस (प्रत्येक खेल/आयोजन के लिए 1 अंक)		05	10
			राज्य/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजित कार्यक्रम या अन्य एजेंसियों द्वारा उपयोग की गई सुविधाएं (न्यूनतम 1		05	

			कार्यक्रम)			
1.9	सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व के दिवसों का आयोजन		न्यूनतम 02 कार्यक्रम	हाँ	02	02
				नहीं	00	
1.10	राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठी/पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन	राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण सम्मेलन	न्यूनतम 01 कार्यक्रम	हाँ	05	05
				नहीं	00	
		राज्य स्तर प्रशिक्षण सम्मेलन	न्यूनतम 01 कार्यक्रम	हाँ	03	03
				नहीं	00	
		स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित कार्यक्रम	न्यूनतम 02 कार्यक्रम	हाँ	02	02
				नहीं	00	
		गतिविधि क्लब	न्यूनतम 2	हाँ	02	02
				नहीं	00	00
1.11	फीडबैक क्रियाविधि	प्रशिक्षण फीडबैक और की गई कार्रवाई		किया गया	02	02
				नहीं किया गया	00	
		मूल बल से प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण उपरांत फीडबैक		किया गया	02	02
				नहीं किया गया	00	00
1.12	इन-हाउस प्रशिक्षु फैकल्टी अनुपात			आदर्श 1:10	02	02
				1:10 से कम	00	

1.13	उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना			न्यूनतम 1	05	05
1.14	प्राप्त प्रत्यायन/मान कीकरण			न्यूनतम एक, 5 अंक प्रत्येक	10	10
1.15	कोई नवाचार पद्धति		विवरण दें	प्रत्येक में न्यूनतम एक/दो अंक		03
1.16	सर्वोत्तम पद्धतियों का आदान-प्रदान		विवरण दें	प्रत्येक में न्यूनतम एक/2 अंक		03
1.17	अकादमी में प्रशिक्षण प्रबंधन के लिए तैयार की गई एसओपी			हाँ	02	02
				नहीं	00	
<b>2. प्रशासनिक पैरामीटर</b>					<b>60 अंक</b>	
2.1	कार्यालय सुविधाएं	प्रशासनिक ब्लॉक		उपलब्ध	02	02
				उपलब्ध नहीं	00	
		रैंक के अनुसार कार्यालय कक्षों की उपलब्धता		हाँ	02	02
				नहीं	00	
		पावर बैकअप सुविधाएं		हाँ	02	02
				नहीं	00	
		आंतरिक शिकायत समिति मौजूद (विशाखा दिशानिर्देशों के अनुसार)		हाँ	02	02
				नहीं	00	
		ई-ऑफिस जैसे प्रबंधन सूचना सॉफ्टवेयर का उपयोग		हाँ	02	02
				नहीं	00	
2.2	संकायों द्वारा प्राप्त पुरस्कार (अकादमी में पोस्टिंग के दौरान)	राष्ट्रीय स्तर		प्रति पुरस्कार 02 अंक	10	10

		राज्य स्तर		प्रति पुरस्कार 1 अंक		05
2.3	भंडारों का प्रापण और रखरखाव	जीईएम के माध्यम से प्रापण का प्रतिशत			02	10
		स्टोर रखरखाव, नियमित आधार पर रजिस्ट्रों का रखरखाव और लेखांकन			02	
		विगत वर्ष कंडम घोषित की गई वस्तुएं और की गई नीलामी			01	
		प्रत्येक वर्ष आयोजित स्टोरों का निरीक्षण			01	
	डिजिटल इन्वेंटरी प्रबंधन			हाँ	02	
				नहीं	00	
	कोत प्रबंधन के लिए एसओपी			हाँ	02	
				नहीं	00	
2.4	सुरक्षा	नियंत्रण कक्ष के साथ सीसीटीवी निगरानी			02	02
		बाउंड्री वॉल				01
		प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मियों द्वारा भौतिक सुरक्षा			02	02
		साइबर सुरक्षा तंत्र			02	02
2.5	प्रशिक्षुओं के लिए वाहन	उपलब्ध			02	02
		उपलब्ध नहीं है			00	
2.6	प्रशिक्षण संस्थान के लिए आवंटित और उपयोग किया गया बजट	बजट उपयोग प्रतिशत (कुल व्यय/कुल आवंटित राशि)		90% से अधिक	02	02
				75% से	01	

				90% के बीच		
				75% से कम	00	
2.7	आंतरिक और बाह्य लेखा परीक्षा (प्रत्येक एक अंक)				02	02
2.8	ग्रीन कवर			कुल क्षेत्र के 50% से अधिक	02	02
				कुल क्षेत्र के 50% से कम	01	
2.9	अकादमियों में उपयोग की जाने वाली स्थायी तकनीक जैसे सोलर फार्म, पर्यावरण अनुकूल पद्धतियां, वर्षा जल संचयन आदि। (न्यूनतम दो)			प्रत्येक पहल के लिए 2 अंक (अधिकतम 5)		10
<b>3. इन्फ्रास्ट्रक्चर</b>					<b>170 अंक</b>	
3.1	आवासीय कर्मचारियों/प्रशिक्षुओं के लिए रिहायशी आवास	कर्मचारियों के लिए क्वार्टर और बैरकों की संख्या		स्वीकृत संख्या की 100% उपलब्धता*	03	03
		अतिथि-गृह		यदि उपलब्ध हो	02	02
				उपलब्ध नहीं है	00	
		प्रशिक्षुओं के लिए बैरक (पूर्वनिर्मित या कंक्रीट निर्मित)	पूर्वनिर्मित	1. स्वीकृत नफरी के अनुसार पूर्ण अंक	03	03
				2. 100% से कम और 80% तक	02	
				3. 80% से कम	01	

			कंक्रीट निर्मित	1. स्वीकृत नफरी के अनुसार पूर्ण अंक	04	04
				2. 100% से कम और 80% तक	03	
				3. 80% से कम	01	
		प्रशिक्षुओं के लिए छात्रावास में कमरों की संख्या		1. स्वीकृत संख्या का 100% पूर्ण अंक	03	03
				2. 100% से कम और 80% तक	02	
				3. 80% से कम	01	
		महिला प्रशिक्षुओं के लिए कमरों की संख्या		कुल क्षमता का कम से कम 33%	02	02
		पारिवारिक कमरे (2 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली महिला प्रशिक्षुओं के लिए)		हॉस्टल में कम से कम 2 कमरे	02	02
				2 से कम कमरे	01	
		शौचालय	प्रति 6 प्रशिक्षुओं पर 1 शौचालय	उपलब्ध	02	02
				उपलब्ध नहीं	00	
		बाथरूम	प्रति 6 प्रशिक्षुओं पर 1 बाथरूम	उपलब्ध	02	02
				उपलब्ध नहीं	00	
		अधिकारी मेस		उपलब्ध	03	03
				उपलब्ध नहीं	00	
		मनोरंजन कक्ष/सभा कक्ष		उपलब्ध	02	02
				उपलब्ध नहीं	00	
		डाइनिंग हॉल		प्रशिक्षुओं की स्वीकृत क्षमता का	03	03

				100%*		
		वातानुकूलित स्टोर रूम सहित रसोईघर और वाटर कूलर, एकवा गार्ड आदि जैसी पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई है।		उपलब्ध	03	03
				उपलब्ध नहीं	00	
<b>3.2 इनडोर प्रशिक्षण</b>						
		दृश्य-श्रव्य सुविधाओं आदि के साथ सुसज्जित स्मार्ट क्लासरूम की संख्या		प्रशिक्षुओं की स्वीकृत संख्या के अनुसार (100%)*	04	04
		वीसी सुविधाओं के साथ सम्मेलन कक्ष		उपलब्ध	04	04
				उपलब्ध नहीं	00	
		आधुनिक उपकरणों के साथ सभागार		उपलब्ध	04	04
				उपलब्ध नहीं	00	
		पुस्तकालय:- 1200 वर्ग फुट (इंटरनेट, वीडियो फिल्मों के लिए क्यूबिकल्स के साथ)		उपलब्ध	04	04
				उपलब्ध नहीं	00	
		ई-लाइब्रेरी एक्सेस		उपलब्ध	04	04
				उपलब्ध नहीं	00	
<b>3.3 आउटडोर प्रशिक्षण</b>						
		खेल सुविधा (खेल और संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर की	प्रत्येक खेल के लिए 02 अंक। (अधिकतम			10

		संख्या बताएं)	5)			
		परेड ग्राउंड (पीटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा) - कच्चा		उपलब्ध	02	02
				उपलब्ध नहीं	00	
		परेड ग्राउंड - (पक्का)		उपलब्ध	03	03
				उपलब्ध नहीं	00	
		ड्रिल शेड		उपलब्ध	05	05
				उपलब्ध नहीं	00	
		स्टेडियम (चेंजिंग रूम, शौचालय, स्टोररूम आदि जैसी सुविधाओं के साथ)		उपलब्ध	05	05
				उपलब्ध नहीं	00	
		व्यायामशाला (सभी आवश्यक और आधुनिक जिम उपकरणों के साथ)		उपलब्ध	03	03
				उपलब्ध नहीं	00	
		अस्तबल/ केनेल के साथ घोड़े/श्वान		उपलब्ध	03	03
				उपलब्ध नहीं	00	
		फायरिंग रेंज इन्फ्रास्ट्रक्चर	-शॉर्ट -लॉन्ग -इन्डोर -बैफल -सिम्युलेटर रेंज (रात्रि अभ्यास सुविधा के साथ प्रकार और संख्याओं का उल्लेख करें)	प्रत्येक सुविधा के लिए 02 अंक		10
		ऑब्स्टेकल/अ	स्टैंडर्ड	उपलब्ध	02	02

		सॉल्ट कोर्स (सुविधा)	(10)			
				उपलब्ध नहीं	00	
			लड़ाई हमला (16)	उपलब्ध	03	03
				उपलब्ध नहीं	00	
		डेमो क्षेत्र (घात /सीआईसीटी, मानचित्र रीडिंग, आईईडी डेमो, पुलिस टैक्टिक्स आदि के लिए)	न्यूनतम 25 एकड़	उपलब्ध	04	04
				उपलब्ध नहीं	00	
		स्विमिंग पूल (चेंजिंग रूम और शौचालय के साथ)	ओलंपिक आकार (50 मीटर × 25 मीटर)	उपलब्ध	05	05
				उपलब्ध नहीं	00	
			25 मीटर×12.5 मीटर	उपलब्ध	04	
				उपलब्ध नहीं	00	
			अन्य	उपलब्ध	02	
				उपलब्ध नहीं	00	
<b>3.4 व्यावहारिक प्रशिक्षण सुविधाएं</b>						
		मिनी फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला		उपलब्ध	05	05
				उपलब्ध नहीं	00	
		एक्सेसरीज के साथ आईईडी लैब्स		उपलब्ध	05	05
				उपलब्ध नहीं	00	
		मॉक अभ्यास के लिए सिमुलेटर क्षेत्र		उपलब्ध	05	05
				उपलब्ध नहीं	00	
		सेंड मॉडल रूम		उपलब्ध	05	05

		परंपरागत				
				उपलब्ध नहीं	00	
		सेंड मॉडल रूम डिजिटल 3डी		उपलब्ध	05	05
				उपलब्ध नहीं	00	
		उपकरण कक्ष के साथ ड्राइविंग सिमुलेटर		उपलब्ध	05	05
				उपलब्ध नहीं है	00	

### 3.5 डिजिटल प्रशिक्षण इन्फ्रास्ट्रक्चर

		इंटरनेट सुविधा के साथ प्रति प्रयोगशाला कंप्यूटरों की संख्या	प्रिंटर, यूपीएस आदि के साथ 30 कंप्यूटर।	स्वीकृत क्षमता का 100 प्रतिशत	10	10
		डेटा सेंटर/सर्वर कमरा		यदि उपलब्ध हो	05	05
				उपलब्ध नहीं	00	
		AV सामग्री तैयार करने के लिए स्टूडियो		यदि उपलब्ध हो	05	05
				उपलब्ध नहीं	00	
		वेबसाइट (अद्यतन)		यदि उपलब्ध हो	03	03
				उपलब्ध नहीं	00	
		ग्राहकों के साथ सोशल मीडिया पर उपलब्ध जैसे एक्स, फेसबुक आदि (आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के उपयोगकर्ता के नाम विवरण का उल्लेख करें)		(पीटीआई के प्रत्येक आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के लिए 1 अंक, अधिकतम 4)	04	04
				उपलब्ध नहीं	00	
		इन्फ्रास्ट्रक्चर तृतीय-पक्ष		किया गया	04	04

		आईटी का ऑडिट किया गया				
				नहीं किया गया	00	
<b>4. कल्याणकारी उपाय -</b>				<b>30 अंक</b>		
[नोट: - 4.1 से 4.15 तक के अंक असाइन करें - यदि उपलब्ध हो तो '02 अंक' और उपलब्ध नहीं है तो '00 अंक']						
4.1	कैंटीन की सुविधा					
4.2	पार्क/गार्डन					
4.3	डाकघर					
4.4	बैंक एटीएम					
4.5	शिशुगृह					
4.6	कौशल विकास केंद्र					
4.7	किराने की दुकान और सुपर मार्केट					
4.8	बच्चों के लिए स्कूल					
4.9	मिनी थियेटर					
4.10	एम्बुलेंस सुविधा					
4.11	अस्पताल/औषधालय					
4.12	समुदाय के साथ जुड़ाव जैसे कार्यशालाएं/शिविर आदि।					
4.13	परिवारों के लिए कार्यक्रम					
4.14	परामर्श केंद्र					
4.15	परिवहन सेवाएं					

**5. अतिरिक्त पैरामीटर -**

**50 अंक**

	पैरामीटर	मापदंड			उप क्षेत्र अंक	अधिकतम अंक
5.1	उप पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस निरीक्षक और कांस्टेबल तीनों रैंकों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु बीपीआर एवं डी मानकीकृत पाठ्यक्रम को अपनाना।		हाँ		05	05
			नहीं		00	

5.2	<p><b>प्रशिक्षण क्षमता उपयोग (उपयोग%) - वार्षिक</b></p> <p><u>(प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की वास्तविक संख्या x प्रति प्रशिक्षु उपयोग किए गए दिन) x 100</u></p> <p>भाग स्वीकृत क्षमता x कार्य दिवस</p> <p><b>उदाहरण के लिए:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>स्वीकृत क्षमता = 50 प्रशिक्षु</li> <li>एक वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की वास्तविक संख्या = 45 प्रशिक्षु</li> <li>प्रति प्रशिक्षु उपयोग किए गए दिनों की संख्या = 200 दिन</li> <li>वित्तीय वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या = 250 दिन</li> <li>वास्तविक प्रशिक्षण दिन प्रयुक्त = <math>45 \times 200 = 9,000</math></li> </ul>	75 से 100% के बीच			04	04
		50% से 75% के बीच			03	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अधिकतम संभव प्रशिक्षण दिन = 50 x 250 = 12,500</li> <li>• प्रतिशत उपयोग= <math>\frac{9,000}{12500} \times 100</math> =72%</li> </ul>	50% से कम			00	
5.3 (क)	पीटीआई में आयोजित प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम		5 से अधिक पाठ्यक्रम		05	05
			2 से 5 पाठ्यक्रमों के बीच		03	
			02 से कम पाठ्यक्रम		00	
(ख)	मूल प्रशिक्षण संस्थान के बाहर पीटीआई		80% से अधिक संकायों		02	02

	प्रशिक्षकों के लिए आयोजित संकाय विकास कार्यक्रम		को प्रशिक्षित किया गया			
			80% से कम संकाय प्रशिक्षित		00	
(ग)	प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार किए गए मास्टर ट्रेनर/एसएमई की सूची		हाँ		02	02
			नहीं		00	
5.4	आयोजित पाठ्यक्रम					
क.	महानिदेशक/महानिरीक्षक- सम्मेलन के निदेशों के अनुसार आयोजित पाठ्यक्रमों की संख्या		न्यूनतम 05 पाठ्यक्रम		03	03
ख.	एनएसएससी के निदेशों के अनुसार संचालित पाठ्यक्रमों की संख्या		न्यूनतम 03 पाठ्यक्रम		03	03
ग.	गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार आयोजित पाठ्यक्रमों की संख्या		न्यूनतम 05 पाठ्यक्रम		03	03
घ.	आयोजित किए गए संयुक्त प्रशिक्षण		न्यूनतम 2 पाठ्यक्रम		03	03
ङ.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी अधिसूचनाओं के आधार पर न्याय संहिता पर आयोजित पाठ्यक्रम		75%- 100 %		03	03
			50%- 75%		02	
			50% से कम		00	
च.	गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित पाठ्यक्रम		न्यूनतम 2 पाठ्यक्रम		03	03
5.5	प्रशिक्षण में बीपीआरएंडडी हैंडबुक/संदर्भ सामग्री का उपयोग		हाँ		02	02
			नहीं		00	
5.6	DIPTI डेटा सबमिशन		समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया गया और बाद में		05	05

			कोई सुधार नहीं हुआ।			
			मामूली सुधारों के साथ प्रस्तुत किया गया		02	
			प्रस्तुत नहीं किया गया /अपूर्ण		00	
5.7	बीपीआरएंडडी के सहयोग से कार्यक्रमों की सह-मेजबानी		न्यूनतम 01 कार्यक्रम		03	03
5.8	भारतीय पुलिस जर्नल/पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की पुलिस विज्ञान पत्रिका में संकायों/प्रशिक्षुओं द्वारा प्रकाशन		प्रति लेख 01 अंक (अधिकतम 04 अंक)		04	04

\* पीटीआई द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार अंक आनुपातिक रूप से दिए जाएंगे।

### राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/सीएपीएफ/सीपीओ का वर्गीकरण:

तुलना, आकलन और मूल्यांकन करने से पहले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणियां बनाना उचित और आवश्यक है। वर्गीकरण से उन संस्थानों की तुलना करना संभव होता है जो व्यापक रूप से समान चुनौतियों का सामना करते हैं और तुलनीय परिस्थितियों में कार्य करते हैं। इससे मूल्यांकन में निष्पक्षता को बढ़ावा मिलता है और रैंकिंग ढांचा संस्थागत प्रदर्शन और संरचनात्मक कमियों के बीच अंतर कर पाता है। यह रैंकिंग प्रक्रिया की विश्वसनीयता को भी बढ़ाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि आकलन संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की दक्षता और परिचालन वास्तविकताओं दोनों को प्रतिबिंबित करते हैं। संस्थानों का आकलन निम्नलिखित प्रत्येक श्रेणी के निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा:

**श्रेणी-I:** 1. अरुणाचल प्रदेश 2. गोवा 3. हिमाचल प्रदेश 4. मेघालय 5. मिजोरम 6. मणिपुर 7. नागालैंड 8. सिक्किम 9. त्रिपुरा 10. उत्तराखंड 11. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 12. चंडीगढ़ 13. दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव 14. लद्दाख 15. लक्षद्वीप 16. पुडुचेरी

**श्रेणी-II:** 1. असम 2. छत्तीसगढ़ 3. हरियाणा 4. झारखंड 5. केरल 6. ओडिशा 7. पंजाब 8. तेलंगाना 9. दिल्ली 10. जम्मू और कश्मीर

**श्रेणी-III:** 1. आंध्र प्रदेश 2. बिहार 3. गुजरात 4. कर्नाटक 5. मध्य प्रदेश 6. महाराष्ट्र 7. राजस्थान 8. तमिलनाडु 9. उत्तर प्रदेश 10. पश्चिम बंगाल

**श्रेणी-IV:** 1. असम राइफल्स (AR) 2. सीमा सुरक्षा बल (BSF) 3. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) 4. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) 5. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) 6. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) 7. सशस्त्र सीमा बल (SSB)

**श्रेणी-V:** 1. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) 2. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPRD) 3. सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (SVPNPA) 4. उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी (NEPA) 5. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)

(गृह मंत्रालय के किसी भी संस्थान को मानक परिचालन नियमों (SOP) में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर रैंकिंग के लिए विचार किया जाएगा।)

### **समिति द्वारा विचार:**

(क) एसओपी के अनुसार, संबंधित पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त प्रस्ताव की जांच बीपीआरएंडडी में समिति द्वारा की जाएगी।

(ख) पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए नामांकन की संख्या के आधार पर पुलिस अनुसंधान एवं विकास विभाग के महानिदेशक एक से अधिक समितियों का गठन कर सकते हैं। समिति के सदस्यों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, सीएपीएफ और सीपीओ से नामित किया जा सकता है।

(ग) समिति की संरचना इस प्रकार है:

- |  |              |
|--|--------------|
| (i) बीपीआर एंड डी के एडीजी/आईजी                                    | : अध्यक्ष    |
| (ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आईजी (रोटेशन आधार पर)              | : सदस्य      |
| (iii) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिरीक्षक (रोटेशन आधार पर) | : सदस्य      |
| (iv) सीपीओ के आईजी (रोटेशन आधार पर)                                | : सदस्य      |
| (v) निदेशक/उप सचिव, पुलिस-1 प्रभाग, गृह मंत्रालय                   | : सदस्य      |
| (vi) डीआईजी, बीपीआर एंड डी   | : सदस्य सचिव |

(घ) ये समितियां पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा साझा किए गए डेटा/दस्तावेजों के आधार पर अंक आवंटित करेंगी।

(ङ) बीपीआरएंडडी को पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों का भौतिक सत्यापन (यदि आवश्यक हो) करने का अधिकार दिया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नैतिक व्यवहार के सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है।

(च) समितियां अपनी रिपोर्ट महानिदेशक, बीपीआरएंडडी को सौंपेंगी।

(छ) पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की रैंकिंग के लिए महानिदेशक, बीपीआर एवं डी की सिफारिश को गृह मंत्रालय के पुलिस-1 प्रभाग के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा।

### **सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन:**

अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री जी हैं।

\*\*\*\*\*

## फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (सीएफएसएल/एसएफएसएल) की रैंकिंग के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)

### प्रस्तावना:

भारत में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (सीएफएसएल/एसएफएसएल) की रैंकिंग राष्ट्र के लिए उनकी असाधारण सेवा का सम्मान है।

### उद्देश्य:

यह फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की उत्कृष्टता और विशिष्ट सेवा का प्रतीक है और इसके द्वारा प्रयोगशालाओं के कर्मियों के प्रशिक्षण, संस्थानों के कौशल और इन्फ्रास्ट्रक्चर के संवर्धन में उपलब्धियों सहित विशिष्ट सेवा को सम्मानित किया जाता है। रैंकिंग का उद्देश्य प्रतिष्ठा, सम्मान का विषय है और यह पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के मनोबल को काफी बढ़ाता है और प्रशिक्षण कौशल और इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के उद्देश्य से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए भी प्रेरित करता है।

### कार्यप्रणाली:

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) हर साल 1 अप्रैल से नामांकन आमंत्रित करेगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिसूचित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला 15 अप्रैल तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेंगे। ब्यूरो किसी भी पैरामीटर को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा यदि वह उपलब्ध डेटा की अनिवार्यताओं या प्रकृति के कारण आवश्यक युक्तिकरण के हित में ऐसा करने के लिए उपयुक्त समझता है। रैंकिंग की घोषणा हर साल अगस्त के महीने में की जाएगी। शीर्ष तीन स्थान प्राप्त करने वाली प्रयोगशालाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। अंकों सहित रैंकिंग की सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। समिति द्वारा हर तीन साल के बाद एसओपी की समीक्षा की जाएगी।

### अंकों का वितरण:

फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज (सीएफएसएल/एसएफएसएल) रैंकिंग प्रणाली विभिन्न श्रेणियों में वितरित कुल 100 अंक प्रदान करती है। श्रेणियों के भीतर प्रत्येक पैरामीटर में स्कोरिंग के लिए एक विशिष्ट बेंचमार्किंग होती है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रयोगशाला के संचालन के सभी पहलुओं का संतुलित तरीके से मूल्यांकन किया जाए।

क्रम संख्या	पैरामीटर	कुल अंक
1.	सेवाओं की गुणवत्ता और सर्वोत्तम पद्धतियों को	15

अपनाना		
2.	अनुसंधान एवं विकास	10
3.	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	10
4.	इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं	10
5.	प्रत्यायन और प्रमाणन	10
6.	सहयोग और साझेदारी	05
7.	केस सॉल्विंग दक्षता	20
8.	न्यायालय साक्ष्य और अपराध स्थल का दौरा	10
9.	समुदाय, आउटरीच और जागरूकता	05
10.	पर्यावरणीय स्थायित्व	05
	कुल	100 अंक

**बुनियादी जानकारी, पैरामीटर-वार मानदंड और अंक:**

क्र.सं	पैरामीटर	अंक	संकेतक	वेटेज	बेंच मार्किंग
1.	सेवाओं की गुणवत्ता और सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाना	15	सभी तकनीकी गतिविधियों के लिए एसओपी प्रलेखन	5	उपलब्ध: 05 उपलब्ध नहीं: 00
			नई तकनीकी/वैज्ञानिक सुविधा विकसित की गई	4	हाँ: 04 (प्रलेखित प्रमाण आवश्यक) नहीं: 00
			ग्राहक/केस अग्रेषण प्राधिकरण फीडबैक	3	हाँ: 03 (प्रलेखित प्रमाण आवश्यक) नहीं: 00
			सभी प्रभागों में तकनीकी आवश्यकताओं के लिए सभी प्रभागों के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा टीम द्वारा लेखा परीक्षा	3	सभी अनुपालन: 03 (प्रलेखित प्रमाण आवश्यक) कोई अनुपालन नहीं: 00
2.	अनुसंधान एवं विकास	10	वैज्ञानिक परियोजनाएं/शोध प्रबंध कार्य	2	हाँ: 02 (प्रलेखित प्रमाण आवश्यक) नहीं: 00
			शोध पत्रिकाओं/पुस्तकों के लिए ई-लाइब्रेरी	1	हाँ: 01 (प्रलेखित प्रमाण आवश्यक) नहीं: 00

			अनुसंधान प्रकाशन	2	इंटरनेशनल जर्नल (स्कोपस सूचीबद्ध): 02 (न्यूनतम 02 / वर्ष) • नेशनल जर्नल/ई-जर्नल: 01 (न्यूनतम 02/वर्ष) केवल सामान्य संचार : 01 कोई प्रकाशन नहीं: 00
			विकसित अभिनव अनुसंधान पद्धति /पेटेंट कार्य	3	हाँ: 03 (प्रलेखित प्रमाण आवश्यक) नहीं: 00
			नियमित मामलों में पद्धति विकास और इसे अपनाना/अपनाने के लिए अन्य संस्थानों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण	2	हाँ: 02 (प्रलेखित प्रमाण आवश्यक) नहीं: 00
3.	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	10	आईजीओटी (आई गॉट) कर्मयोगी प्लेटफॉर्म/अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर्मचारियों का प्रशिक्षण  या  भारत में सरकारी प्रशिक्षण संस्थान/विदेशी प्रशिक्षण संस्थान	4	पर्याप्त: 04 (न्यूनतम 03 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम / वर्ष इंगित नोट के अलावा)  मध्यम: 02 (यदि 03 से कम प्रशिक्षण)  कोई प्रशिक्षण नहीं : 00  नोट: डीओपीटी के आदेश के अनुसार आईजीओटी (आई गॉट) पोर्टल के माध्यम से सभी सरकारी अधिकारियों को 06 अनिवार्य प्रशिक्षण बिना किसी देरी करने की अपेक्षित है।
			ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से स्टाफ तकनीकी और सॉफ्ट कौशल विकास	3	कौशल विकास प्रशिक्षण (न्यूनतम 50% कर्मचारी): 03 (प्रलेखित प्रमाण आवश्यक) कौशल विकास प्रशिक्षण (न्यूनतम 25% से 50% कर्मचारी): 02 (प्रलेखित

					प्रमाण आवश्यक) कौशल विकास प्रशिक्षण (न्यूनतम 10% से 25% कर्मचारी): 01 (प्रलेखित प्रमाण आवश्यक) कोई एक्सपोजर नहीं : 00
			रिक्त पद भरना/कार्रवाई	3	पूरी तरह से भरा हुआ: 03 आंशिक रूप से भरा हुआ: 02 प्रक्रिया में: 01 (प्रलेखित प्रमाण आवश्यक) कोई कार्रवाई नहीं : 00
4.	इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं	10	वैध लाइसेंस के साथ विश्लेषणात्मक उपकरण, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर	3	पूर्ण: 03 (भौतिक उपलब्धता आवश्यक)* आंशिक : 02 शून्य उपकरण: 00
			आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर /डिजिटल सुविधा/ई- ऑफिस/रिकॉर्ड (डिजिटल और भौतिक) प्रबंधन प्रणाली	2	हाँ: 02 (भौतिक उपलब्धता आवश्यक) नहीं: 00
			साक्ष्य सुरक्षित रखने के साथ-साथ प्रयोगशाला प्रक्रियाओं और विश्लेषण के संचालन के लिए प्रयोगशाला इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रयोगशाला का स्थान	3	उपलब्ध: 03 (भौतिक उपलब्धता आवश्यक) उपलब्ध नहीं: 00
			सरकारी सुरक्षा सहित कार्मिक शक्ति/कार्य शक्ति	2	पूर्ण: 02 कोई कार्मिक शक्ति नहीं: 00
5.	प्रत्यायन और प्रमाणन	10	एनएबीएल प्रमाणन	5	हाँ: 05 (प्रलेखित प्रमाण आवश्यक) नहीं: 00
			इंटर लेबोरेटरी प्रवीणता परीक्षण (आईएलपीटी) स्कोप कवरेज	2	आईएलपीटी के तहत प्रमाणन के अनुसार कवर किया गया दायरा : पूरी तरह से कवर: 02 (प्रलेखित प्रमाण आवश्यक))

					कवर नहीं/आंशिक : 00
			ISO-17025 अंशांकन और प्रमाणित मानक संदर्भ सामग्री के लिए अनुपालन	3	सभी कैलिब्रेटेड उपकरणों और प्रमाणित सीआरएम/अन्य संदर्भ मानकों की उपलब्धता:  हाँ: 03 (प्रलेखित प्रमाण आवश्यक) नहीं: 00
6.	सहयोग और साझेदारी	05	अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में उन्नति के लिए संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन  या  ज्ञान साझा करने संबंधी नेटवर्क	2	हाँ: 02 (प्रलेखित प्रमाण आवश्यक) नहीं: 00
			अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ऑनलाइन संगोष्ठियों/सम्मेलन (या) कार्यशालाओं का आयोजन	2	हाँ: 02 (प्रलेखित प्रमाण आवश्यक) नहीं: 00
			फोरेसिक विज्ञान पाठ्यक्रम/पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों या अकादमियों/न्यायिक अकादमी वाले संस्थानों के साथ अकादमिक सहयोग  केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय  अकादमिक परिषदों/बोर्ड ऑफ स्टडीज में सदस्य /पीएचडी सुपरवाइजर/सह पर्यवेक्षक	1	हाँ: 01 (प्रलेखित प्रमाण आवश्यक) नहीं: 00
7.	केस सॉल्विंग दक्षता	20	मात्रा (मामलों की संख्या)/मामले के निपटान की दर%	8	100% : 08 (प्रयोगशाला में मामलों के इनपुट पर निर्भर करता है) 60-80%: 07

					40-60%: 05 10-40% : 03 10% से कम : 01
			<b>टर्न अराउंड टाइम (TAT)</b>	<b>3</b>	न्यूनतम 05 दिन : 03 05-10 दिनों से अधिक: 02 10 दिन से अधिक : 01 01 महीने से अधिक: 00
			<b>बैकलॉग (लंबित मामलों की संख्या में कमी%)</b>	<b>6</b>	100%: 06 (शून्य लंबित / 1-3 महीने से कम लंबित) 61-80%: 05 41-60%: 04 10-40% : 03 10% से कम : 01
			<b>प्राथमिकता (राष्ट्रीय महत्व के मामलों को निपटाया गया)</b>	<b>3</b>	हाँ: 03 (प्रलेखित प्रमाण आवश्यक) नहीं: 00
<b>8.</b>	<b>अदालती साक्ष्य और अपराध स्थल का दौरा</b>	<b>10</b>	<b>बयान</b>	<b>4</b>	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) (100%) : 4 • व्यक्तिगत उपस्थिति / वीसी: 3 केवल व्यक्तिगत उपस्थिति: 2 शून्य बयान : 1
			<b>गुणवत्ता (निर्णय पर प्रभावशाली)</b>	<b>3</b>	<b>निर्णय वक्तव्य में स्वीकार:</b> 3 (न्यायालय फीडबैक आवश्यक है) न्यायालय का कोई फीडबैक नहीं: 0
			<b>अपराध स्थल (सीएस) का दौरा</b>	<b>3</b>	सीएस टीम अनुभाग सक्रिय: 3 सीएस टीम अनुभाग उपलब्ध नहीं: 0
<b>9.</b>	<b>समुदाय, आउटरीच और जागरूकता</b>	<b>5</b>	<b>फोरेंसिक के बारे में ऑनलाइन मीट/वेब पेज में कार्यक्रम/व्याख्यान/आमंत्रित वार्ता</b>	<b>2</b>	हाँ: 02 (प्रलेखित प्रमाण आवश्यक) नहीं: 00
			<b>छात्रों/आगंतुकों के लिए</b>	<b>2</b>	हाँ: 02 (प्रलेखित प्रमाण

			फोरेंसिक प्रदर्शनियां		आवश्यक) नहीं: 00
			संस्थानों में फोरेंसिक शिक्षा कार्यक्रम	1	हाँ: 01 (प्रलेखित प्रमाण आवश्यक) नहीं: 00
10.	पर्यावरणीय स्थायित्व	5	जैव अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा प्रक्रियाओं/हरित पहलों को अपनाना	2	हाँ: 02 (प्रलेखित प्रमाण आवश्यक) नहीं: 00
			अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कल्याण प्रबंधन/मनोरंजन सुविधा	2	हाँ: 02 (प्रलेखित प्रमाण आवश्यक) नहीं: 00
			स्थायी हरित पहलों में ऑडिट/प्रमाणन	1	हाँ: 01 (प्रलेखित प्रमाण आवश्यक) नहीं: 00

\*सीएफएसएल/एसएफएसएल के लिए मानक उपस्कर सूची के संबंध में ([http://dfs.nic.in/pdfs/standard%20equipment%20list\\_unlocked.pdf](http://dfs.nic.in/pdfs/standard%20equipment%20list_unlocked.pdf))

## समिति द्वारा विचार:

(क) एसओपी के अनुसार संबंधित सीएफएसएल/एसएफएसएल से प्राप्त प्रस्ताव की जांच बीपीआरएंडडी में समिति द्वारा की जाएगी।

(ख) समिति की संरचना इस प्रकार है:

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| (i) बीपीआर एंड डी के एडीजी/आईजी   | : | अध्यक्ष    |
| (ii) प्रत्यायन विशेषज्ञ (जैसे एनएबीएल)  | : | सदस्य      |
| (iii) विषय वस्तु विशेषज्ञ<br>(उदाहरण के लिए, अकादमिक/अनुसंधान निकाय से)                       | : | सदस्य      |
| (iv) एनएफएसयू के प्रतिनिधि  | : | सदस्य      |
| (v) एनआईए/सीबीआई/आईबी/ईडी/पुलिस (आईपीएस कैडर)<br>से सेवानिवृत्त फॉरेंसिक विशेषज्ञ/प्रेक्टिशनर | : | सदस्य      |
| (vi) बीपीआर एंड डी के डीआईजी  | : | सदस्य सचिव |

(ग) समितियां सीएफएसएल/एसएफएसएल द्वारा साझा किए गए डेटा/दस्तावेजों के आधार पर अंक आवंटित करेंगी, जिससे मूल्यांकन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और एकरूपता सुनिश्चित होगी।

(घ) समिति को सभी आवश्यक सहायता डीएफएसएस द्वारा प्रदान की जाएगी। बीपीआर एंड डी / डीएफएसएस को प्रयोगशालाओं का भौतिक सत्यापन (यदि आवश्यक हो) करने का अधिकार दिया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नैतिक व्यवहार के सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है।

(ङ) समितियां अपनी रिपोर्ट महानिदेशक, बीपीआरएंडडी को सौंपेंगी।

(च) सीएफएसएल/एसएफएसएल की रैंकिंग के लिए समिति की सिफारिश को गृह मंत्रालय के डब्ल्यूएस प्रभाग के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा।

## सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन:

अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री जी हैं।

\*\*\*\*\*